ग्राम पंचायत कूह मझवाड़, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006.12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कूह मझवाड़, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री रतन सिंह	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री जगदीश चन्द	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री जय लाल	01–04–2013 से 31–03–2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत कूह मझवाड़, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्तशेष में अन्तर	5.70
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.47
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.27
5	10.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	8.64
6	10.2	अनुदान को बिना उपयोग किए वापिस करना	1.48
7	11	आय का लेखांकन न करना	0.033
8	12	आय/ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	1.35

9	14	संदिग्ध व्यय	2.23
10	15	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	2.52
11	16	व्यक्तिगत व्यय का भुगतान	0.02
12	17	मकान नम्बर प्लेटों पर अनुचित व्यय	0.09
13	21	मनरेगा से सम्बन्धित विसंगतियां	––
14	22	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां	––

<u>भाग–दो</u>

2 **वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत कूह मझवाड़, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26/08/2016 से 01/09/2016 तक ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 05/2013, 04/2014, 01/2016 व 06/2013, 04/2014, 01/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविश्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत कूह मझवाड़, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित मल्टीसिटी चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–184 दिनांक 01/09/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति :–**

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 **स्व स्त्रोत :–** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	615	0	615	0	615
2014–15	615	0	615	0	615
2015–16	615	0	615	0	615

4.2 **अनुदानः–** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1123792	2498351	3622143	2441816	1180327
2014–15	1180327	1834172	3014499	1737528	1276971
2015–16	1276971	1260282	2537253	1673610	863643

5 बैंक खातों के सन्दर्भ में पाई गई त्रुटियांः–

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹5,69,923/–का अन्तर :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹5,69,923/–का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)			615
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)			863643
कुल योग (क):				**<u>864258</u>**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं	17605	52530
2	खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट	3477	1274302
3	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट	4766	65562
4	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट	2336	0
5	हरियाली–अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट	3479	3428

6	हरियाली–लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट	3478	33677
7	अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट	4768	4682
कुल योग (ख):				**1434181**
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				**569923**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करनाः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधि के लिए खाता 'क' हि• प्र• रा• स• बैं• की घुमारवीं शाखा में खाता संख्या 17605 से खोल तो लिया गया है परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। यह स्थिति परिशिष्ट '1' में दी गई पंचायत के स्वयं संसाधनों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर स्वयं स्पष्ट हो जाती है। पंचायत द्वारा इस खाते का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को हि• प्र• रा• स• बैं• की त्रिफाालघाट शाखा में खाता संख्या 12410103477 जो कि पंचायत निधि का खाता 'ख' है में जमा करवाया जाता है। यह नियमविरूद्ध कार्यविधि क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैंः–

6.1 (क) नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मनरेगा तथा हरियाली परियोजना के लिए तीन अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग तीन रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित सात बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पांच अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹1,47,163/–के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,47,163/–खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/13	3/14	9/14	3/15	9/15	3/16	
3477	12063	11214	9995	17041	23871	21814	95998
4766	0	373	858	1232	1264	1289	5016
2336	2834	1762	1305	1181	0	0	7082
3479	8326	6511	6571	5075	3285	841	30609
3478	600	608	624	633	649	662	3776
4768	0	1417	2898	185	90	92	4682
कुल योग	**23823**	**21885**	**22251**	**25347**	**29159**	**24698**	**147163**

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की

जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशीील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियां:–

7.1 नियमानुसार निवेश न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को ब्याज के रूप में होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करने के कारण तीन वर्षों के दौरान किया गया समस्त ₹58,52,954/–का अनियमित व्यय :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार

करके ग्राम सभा से पारित नहीं करवाया गया है। अतः नियमानुसार बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण अंकेक्षणावधि के दौरान किया गया समस्त ₹58,52,954/—का व्यय अनियमित है। अतः अब इस व्यय को नियमित करवाने के लिए सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 राजस्व वसूली बारेः— पंचायत राजस्व ₹26,920/—का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹26,920/—की वसूली शेष थी।

गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2013—14 में 525, 2014—15 में 587 तथा 2015—16 में 630 परिवारों के लिए ₹10/—प्रति परिवार की दर सेः—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	9500	5250	14750	0	14750
2014—15	14750	5870	20620	0	20620
2015—16	20620	6300	26920	0	26920

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदानों के उपयोग के सन्दर्भ मे टिप्पणियांः—

10.1 अनुदान की राशि ₹8.64 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा परिशिष्ट—1 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹8,63,643/—की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10.2 हरियाली परियोजना के अनुदान की ₹1.48 लाख की राशि को बिना उपयोग वापिस करने बारेः–

हरियाली परियोजना की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पृष्ठ 50 पर दिनांक 18.11.2015 को निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से ₹1,48,131/–की राशि को बिना उपयोग करे ही खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं को लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की गई है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट करना सुनिश्चित किया जाए तथा खण्ड विकास अधिकारी घुमारवीं के कार्यालय से राशि प्राप्ति की रसीद भी ली जाए।

11 ₹3295/–की आय का लेखांकन न करने बारेः–

पंचायत की रसीदों की नमूना जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹3295/–की प्राप्त आय को रसीदें जारी करने के पश्चात न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है और न ही बैंक खातों में जमा करवाया गया है। यह एक अति गम्भीर त्रुटि है जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए शीघ्रातिशीघ्र इस राशि को दण्ड ब्याज सहित पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	रसीद सं•	दिनांक	स्त्रोत	राशि
1	04835	––	भू–राजस्व	148.00
2	04836	––	भू–राजस्व	68.00
3	04840	11–8–14	भू–राजस्व	695.00
4	04858	––	भू–राजस्व	260.00
5	04861	17–7–15	भू–राजस्व	694.00
6	04864	––	भू–राजस्व	736.00
7	019630	––	भू–राजस्व	694.00
			कुल योग	**3295.00**

12 ₹1,35,297/– की बैंक प्राप्तियों तथा ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारेः–
पंचायत के लेखाओं तथा बैंक खातों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹1,35,297/–की बैंक में ऑनलाइन प्राप्तियों तथा बैंक द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत की वित्तीय स्थिति का मिलान अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो पाया। यह एक अति गम्भीर त्रुटि है जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए शीघ्रातिशीघ्र इन राशियों

तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों का रोकड़ बही में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	खाता सं॰	दिनांक	राशि	स्त्रोत
1	17605	20–4–13	18827.00	ऑनलाइन जमा
2	17605	01–07–13	27506.00	ऑनलाइन जमा
3	17605	9/13	628.00	ब्याज़
4	17605	3/14	949.00	ब्याज़
5	17605	9/14	973.00	ब्याज़
6	17605	3/15	987.00	ब्याज़
7	17605	9/15	1012.00	ब्याज़
8	17605	3/16	1033.00	ब्याज़
9	3478	9/13	600.00	ब्याज़
10	3478	3/14	608.00	ब्याज़
11	3478	9/14	624.00	ब्याज़
12	3478	3/15	633.00	ब्याज़
13	3478	9/15	649.00	ब्याज़
14	3478	3/16	662.00	ब्याज़
15	3478	20–12–12	800.00	रसीद सं 19610
16	3478	20–12–12	900.00	रसीद सं 19611
17	3478	20–12–12	900.00	रसीद सं 19612
18	3478	20–12–12	900.00	रसीद सं 19613
19	3477	6–4–15	35906.00	ऑनलाइन जमा
20	3477	21–4–15	40200.00	ऑनलाइन जमा
		कुल योगः–	**135297.00**	

13 **प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की नमूना जांच में पाया गया कि प्राप्त अनुदान विशेषतः आर॰ टी॰ जी॰ एस॰ बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की जाती है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 **बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹2.23 लाख का संदिग्ध व्ययः–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹2,23,261/–के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल

उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '2'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2,51,681/–के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,51,681/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो॰ब॰ पृष्ठ	क्रय की गई सामग्री	राशि (₹)
1	सामान्य निधि	30.5.13	106	ग्रिल, रेलिंग इत्यादि	10316
2	सामान्य निधि	30.5.13	106	–यथोपरि–	9544
3	सामान्य निधि	24.7.13	107	बिजली का सामान	11350
4	सामान्य निधि	31.3.15	13	रेत व बजरी	33214
5	सामान्य निधि	29.5.15	16	सीमेन्ट, रेत व बजरी की ढुलाई	16000
6	सामान्य निधि	31.3.16	28	कम्पयूटर प्रिंटर, यू पी एस आदि	19700
7	हरियाली परियोजना	22.7.13	44	रेत व बजरी	7594
8	हरियाली परियोजना	22.5.15	50	शहतूत के पेड़	56250
9	मनरेगा	22.8.13	67	रेत, बजरी, पत्थर व शटरिंग	23391
10	मनरेगा	7.4.14	86	पत्थर व शटरिंग	40208
11	मनरेगा	22.7.14	95	रेत व बजरी	24120
				कुल योग	**251681**

16 तत्कालीन पंचायत प्रधान द्वारा पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतानः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (आई) के अनुसार पंचायत निधि के खाता 'क' में से पंचायत की गतिविधियों के प्रचार/विज्ञापन पर प्रतिवर्ष ₹2000/–तक का व्यय किया जा सकता है। ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 124 पर दिनांक 08/09/2014 को ₹1960/– का भुगतान 'हिंद समाचार लि॰ (पंजाब केसरी दैनिक समाचार पत्र)' को विज्ञापन छपवाने के बदले में किया गया है। वाउचर की जांच से स्पष्ट हुआ कि यह भुगतान तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री रतन सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 5–11–2013 के समाचार पत्र के विशेषांक में मात्र अपना फोटो छपवाने के लिए किया गया है न कि किसी भी प्रकार की पंचायत गतिविधियों का प्रचार करने के लिए, जिस कारण से यह विज्ञापन किसी भी प्रकार से पंचायत निधि पर उचित प्रभार न हो कर तत्कालीन पंचायत प्रधान का व्यक्तिगत व्यय है। अतः इस अनुचित व्यय की सम्बन्धित व्यक्ति से प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 मकान नम्बर प्लेटों पर ₹9030/–का अनुचित भुगतानः–

पंचायत लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ 118 पर दिनांक 16.4.2014 को मै॰ वर्मा नम्बर प्लेट मेकर्ज़, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को 645 मकान नम्बर प्लेटों के बदले में किया गया है। पड़ताल पर सचिव द्वारा बताया गया कि यह नम्बर प्लेटें पंचायत के प्रत्येक घर में मकान विशेष की पहचान हेतु बांटी जानी हैं। इस भुगतान के सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. इस व्यय को करने से पूर्व नियमानुसार पंचायत द्वारा इसके सन्दर्भ में कोई भी औचित्य स्पष्ट करते हुए ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव परित नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

2. व्यय पूर्व अपनाई जाने वाली किसी भी मानक प्रक्रिया जैसे निविदाएं आमन्त्रित करना इत्यादि का पालन नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3. इस व्यय हेतु न तो सरकार से किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त हुआ है और न ही नियमों में इस प्रकार के व्यय का कोई प्रावधान पाया गया है। अतः यह व्यय पंचायत निधि पर अनुचित प्रभार है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्रातिशीघ्र करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. अंकेक्षण के समय तक इन नम्बर प्लेटों को खरीदे हुए लगभग 28 मास बीत चुके हैं। पूछने पर बताया गया था कि इन्हें पंचायत के प्रत्येक घर में लगाए जाने हेतु कीमत के भुगतान पर बांटा जाना है। अतः 28 मास तक इन्हें न बांटे जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। ऐसी कुछ दिनांक रहित रसीदों का विवरण गत पैरा 11 में भी दिया गया है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 वेतन/मानदेय रजिस्टरों का निर्माण न करने बारेः—

पंचायत के अधीन कार्य कर रहे जलरक्षकों तथा चौकीदार अथवा पंचायत पदाधिकारियों को प्रतिमास मानदेय/वेतन का भुगतान किया जाता है। इस भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार का मानदेय/वेतन रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः–

21.1 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रौल रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21.2 कार्डधारकों को कानून के अनुसार मांगा गया रोजगार उपलब्ध न करवाने बारेः–

पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा **परिशिष्ट '3'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में मनरेगा कार्डधारकों से रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कुल 1041 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों के विरूद्ध कुल 43052 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है जो कि मनरेगा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों/गारंटी से 17119 दिन कम है। इस सन्दर्भ में पंचायत द्वारा परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम में दिया गया स्पष्टीकरण 'मजदूरों की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता' उपरोक्त वर्णित 1041 आवेदनों की सूचना के परस्पर विरोधी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता तथा मनरेगा अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं गहन जांच हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21.3 वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रखरखावः–

मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्शवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्यविशेष के लिए अलग–अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21.4 सोशल ऑडिट न करवाने बारेः–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय के पत्र संख्याः 11060/3/2009–नरेगा, दिनांक 01–09–2009 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पंचायत द्वारा मनरेगा निधि से निजी भूमी पर करवाए गए निर्माण/विकास कार्यों का पर्यवेक्षण ग्राम सभा द्वारा बनाई गई सोशल ऑडिट कमेटी द्वारा किया जाना अपेक्षित था। ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ में अन्तिम सोशल ऑडिट कमेटी का गठन पंचायत कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ 70 पर प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा दिनांक 9–12–2012 को किया गया था। तदोपरान्त पंचायत द्वारा करोड़ों रुपये के सैंकड़ों विकास कार्य मनरेगा के अन्तर्गत निजी भूमि पर करवाए गए हैं परन्तु सोशल ऑडिट कमेटी द्वारा दायित्व निर्वहन के सन्दर्भ में कोई भी अभिलेख पंचायत के लेखाओं में नहीं पाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि इस कमेटी का गठन मात्र औपचारिकता निभाने हेतु ही किया गया था। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के निर्माण कार्यों नमूना अंकेक्षण जांच हेतु निम्नलिखित कार्य चयनित किए गए थेः–

क्र	कार्य का नाम	किया गया कार्य	रो. ब. पृ.	दिनांक	राशि (₹)
1	भगोट गांव के लिए सड़क का निर्माण	बिशन चन्देल को जे सी बी मशीन द्वारा खुदाई के लिए भुगतान। मापन पुस्तिका संख्या 5773 के पृष्ठ 4 पर दर्ज।	107	24.7.13	27658.00
2	गज्जन के घर से मुंशी के घर तक सड़क की मुरम्मत	बिशन चन्देल को जे सी बी मशीन द्वारा खुदाई के लिए भुगतान। मापन पुस्तिका संख्या 5773 के पृष्ठ 5 पर दर्ज।	107	24.7.13	10000.00

उपरोक्त तथा अन्य निर्माण कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

22.1 आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के बिलों पर किए गए कार्य के सन्दर्भ में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस विवरण का अभाव इन बिलों को संदिग्ध बनाता है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22.2 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो

जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22.3 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22.4 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन स्टॉक रजिस्टर में किया तो गया है परन्तु यह नियमानुसार नहीं है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22.5 मापन पुस्तिकाओं में कार्य समापन दिनांक तथा कार्य पूर्ण होने के सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक अन्य प्रमाणपत्र दर्ज नहीं किए गए हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

22.6 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख तथा मापन पुस्तिकाओं में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यविधि में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर

स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

23 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियांः–

23.1 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत कूह मझवाड़ में खरीदे गए किसी भी सामान का इन्द्राज़ किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों में नहीं किया जाता है। क्रय किए गए सामान का लेखांकन स्टॉक रजिस्टरों में न किए जाने के कारण पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय अनियमित माना जाएगा तथा इस बारे में विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर का अभिलेखन किया तो जा रहा है परन्तु केवल मनरेगा कार्यों के लिए तथा सही तरीके से नही क्योंकि इसमें आवश्यक समस्त जानकारी की प्रविष्टियां नहीं की जा रही हैं।	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई स्टॉक रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 विविध अनियमितताए:—

25.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

25.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

25.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

27 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 10/2016–खण्ड–1– 741–744, दिनाँकः07.02. 2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत कुह मझवाड़, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.